

# कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें,

जयपुर।

क्रमांक फा/रजि/संस्थायें/ २।४

जयपुर, दिनांक.... 23-6-09.....

अध्यक्ष/मन्त्री,

No. V.I. No. 1000... Kumar Ti. Brawala / Mr. Sandeep Babshi

Asso. of the self-financing universities of Rajasthan.

Jaipur National University seedling campus Jagatpura Jaipur.

विषय :- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत  
रजिस्ट्रीकरण के क्रम में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक..... 250...../जयपुर.... 2009-10.....  
दिनांक..... 23.6.09..... संलग्न है। जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनायें भिजवाना  
आवश्यक है :-

1. संस्था में मामलों का प्रबन्ध जिनको सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति या अन्य शाषी निकाय के शाषकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित।
2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।
3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो शाषी निकाय के शासकों, न्यासी या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

4. संस्था द्वारा प्रस्तुत विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या सूचना अंकित किया जाना प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से इन्कार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान नियमावली, चुनाव सूचना इत्यादि तथा पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4(क) की सूचनायें प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संस्था प्रथम दोष सिद्ध पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्ध जारी रहने पर 50/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने के दण्ड की भागीदारी होगी।

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....२५०.....जयपुर/२००९-१०

यह प्रमाणित किया जाता है कि *Association of the self financing*  
*universities of Rajasthan Jaipur* जिला-जयपुर का  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम  
संख्या २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक.....२३.....माह.....June.....सन् दो हजार.....२००९.....

को जयपुर में किया गया।



वी० के० वर्मा  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
संस्थाएं, जयपुर

मुद्रक: राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर फोन: २७५१४१७